प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन-धन योजना

डॉ. हर्षना सोनकुसरे
अर्थशास्त्र विभाग
रेणुका कॉलेज, नागपूर

प्रस्तावना

भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अपार जनसंख्या के साथ ही विविध भाषा, विविध धर्म तथा विविध जाति के लोग रहते हैं, वहाँ देश के संतुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करना आवश्यक होता है। हमारे देश की ३५ प्रतिशत से अधिक जनता वित्तीय संस्थाओं से जुड़ नहीं पाई है, जिसमें ज्यादातर लोग गरीब, कमजोर तबके के तथा वित्तीय रूप से वंचित कहे जा सकते हैं। भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन समय-समय पर किया जाता रहा हैं।इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना 'वित्तीय समावेशन योजना है इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना, उन्हें कम लागत पर ये सेवाएँ उपलब्ध करना और उन्हें साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बाहर निकाला जा सकेगा।

''वित्तीय समावेशन से तात्पर्य लोगो तक वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ उचित माध्यम से पहुँचाना है। इसका मतलब यह है कि जरूरतमंद और समाज के कमजोर तबकों की पहुँच जमा और ऋण जैसे वित्तीय उत्पादों तथा अन्य सेवाओं तक सहनीय लागत पर होनी चाहिए।''-वी.पी. शेट्टी, पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आई.डी.बी.आई.

वित्तीय समावेशन योजना का निम्न आय और गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए क्या महत्व है, इसका अध्ययन करने वाले है। यह अध्ययन करते समय सरकार व्दारा तथा बैंक व्दारा निम्न आय और गरीब वर्ग के लोगों के लिए निम्नलिखित योजनाएँ अमल मे लायी गयी है, जिसमे से एक है-वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन-धन योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेवा सुविधाओं से जोड़ने के मौजूदा कार्यक्रम को नयी शक्ति देने के लिए स्वाधीनता दिवस पर एक व्यापक नया कार्यक्रम घोषित किया। रिजर्व बैंक भी इस कार्य को पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान वित्तीय समावेशन द्वारा जो भी व्यक्ति बैंकों से जुड़ नहीं पाए हैं उन्हे बैंकों से जोड़ना जाना उनका उद्देश्य है। आज भी वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि पहले जिस प्रकार छूआछूत का प्रभाव देखने को मिलता था उसी प्रकार जनता की जागरूकता की कमी के कारण वित्तीन कार्य में जुड़ नहीं पाए। जिसे (Financial untouchability) कहा जाता है। इस वित्तीय कार्य से जुड़ पाने के कारण ही आज भी हमारा देश पिछड़ा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली का कहना है कि आज भी देश में १० करोड़. से भी अधिक जनसंख्या बैंक प्रणाली से जुड़ नहीं पाई है। इससे यह साबित होता है कि जनता के पास किसी भी प्रकार की बचत का न होना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूवात की जिसके तहत एक दिन में १.५ करोड़ खाते खोले गए है। रिजर्व बैक के इस एलान के बाद प्रधानमंत्री जन-धन योजना को काफी प्रोत्साहन मिला जिससे भविष्य में १५ अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने २६ जनवरी, २०१५ तक ७.५ करोड़ भारतीयों के बैंक खाते खोलने का अभियान शुरू करने का एलान किया। वित्त मंत्रालय ने कहा हैकि एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाओं सुलभ हो जाएगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।

प्रधानमंत्री जन - धन योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैः-

यह मिशन दो चरणों में लागू किया गया है

पहला चरण :- १५ अगस्त, २०१४ से १४ अगस्त, २०१५ तक होगा। इस में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए जाएंगे :-

- पूरे देश में सभी परिवारों को उचित दूरी के अंदर किसी बैंक की शाखा या निर्धारित प्वाइंट 'बिजनेस करसपोंडट' के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की वैश्विक पहुँच उपलब्ध करा देना।
- रूपे डेविड कार्ड के साथ कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना।
- सभी परिवारों को एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा देना।

दूसरा चरण :- १५ अगस्त ,२०१५ से १४ अगस्त , २०१८ तक होगा इस में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए जाएंगे -

- लोगों को माइक्रो - बीमा उपलब्ध कराना।
- बिजनेस कॉरसपोंडेट (बी सी) के माध्यम से स्वावलंबन जैसे गैर - संगठित क्षेत्र पेशन योजनाएं शुरू कराना।

मंत्रालय ने कहा कि पहले वित्तीय समावेशन के दायरे में गाँव शामिल थे जबकि मौजूदा योजना के दायरे में परिवार हैं दूसरी बात यह है कि अब तक सिर्फ गाँवो को ध्यान में रखा गया है और अब शहरी इलाकों को भी शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के दो चरणों में इस प्रकार के कार्यों का समावेशन किया गया है। वित्तीय सेवा सचिव जी. एस. संधू द्वारा भारतीय बैक संघ (आईबीए) को भेजे एक पत्र के मुताबिक प्रस्तावित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में लोंगो के लिए बीमा और पेंशन सुरक्षा सेवा भी शामिल है। बैंकों को समावेशी बैंकिंग कार्यक्रम के तहत खोले जाने वाले खातों पर बैंक कर्ज में चूक की स्थिति में जोखिम बीमा की सुविधा की व्यवस्था बैंक चार साल में १५ करोड़ और खाते खोले गए। इनमें से १२ करोड़ ग्रामीण इलाको के हैं। इस प्रधानमंत्री जन-धन योजना का पहला चरणशुरू किया है जिसके तहत देश में इस समय १,१५,०८२ बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और १,६०,०५५ एटीएम है। इनमें से ४३,९६२ शाखाएँ और २३,३३४ एटीएम क्रमशः ३८.२ और १४.५८ नेटर्वक ग्रामीण क्षेत्रो में है। सरकार ने कार्यक्रम को बॉड के तौर पर ओर बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान चलाने का भी प्रस्ताव किया है इसके अलावा बैंक की ग्रामीण शाखाओं में वित्तीय साक्षरता के लिए एक अलग से और कार्य करने की आवश्यकता है।दूसरा चरण २०१५ से शुरू होकर २०१८ तक चलेगा। इन सबसे यह स्पष्टहोता है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय जनता को बैंक से जोड़ने का हर सक्षम प्रयास पूर्ण करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन की रणनीतियाँ बनाते समय सरकार द्वारा निम्न आय तथा गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएँ समय-समय पर लागू की गईं ताकि लोगों के कल्याण को बढ़ाया जा सके । साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके जीवन को सुखमय कर सके । सरकार द्वारा ऐसे कार्यनीतियों का पालन किया गया जिससे जनता को बिना परेशानी के सुविधाएँ मिल सके । उनकी समस्याओं के अनुरूप कार्य करने का भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है । इस कार्य को वर्तमान में भी सुचारू रूप से नई-नई योजनाओं के द्वारा लागू करने का प्रयास जारी हैं ।

बैंकों को आदेश दिया गया है कि शून्य या अत्यंत कमराशि वाले लोगों के बैंक खाते खोले जाने चाहिए। इसके लिए प्रेरित करना व मदद करना आवश्यक है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक मामलों में अपना नियंत्रण रखने व विस्तार करने पर बल दिया है।जनगणना अनुसार देश में २४. ६७ करोड़. परिवार १४.४८ करोड़ परिवारों तक बैंक सेवाएँ पहुची है। आज की वर्तमान परिस्थिति (मार्च २०१४) में १,१५०८२ बैंक की शाखाएँ है १,६०,०५५ एटीएम मशीने हैं उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में ४३९६२ है। बैंक शाखा (३४.२ प्रतिशत) और २३,३३४ एटीएम (१४.५८ प्रतिशत) है। फील्ड स्तर पर ऐसा अनुभव आया है कि निष्क्रीयता और काम न करने वाले कर्मचारियों के कारण अनेक व्यक्ति बैंक खातो से जुड़ने में हिचकिचाते हैं । याजुड़ भी गएतो अन्य बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने में हिचकिचाहट महसूस होती है। बैंक से जुड़े व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक सेवाएँ तो खाताधारक को देना चाहिए जैसे कि (१) रूपे डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग सुविधा से बैंक खाते खोलना। (२) रोक जमा करना। (३) बैकों द्वारा मिनी स्टेंटमेंट की सुविधा उपलब्ध कर देने पर जोर दिया। प्रत्येक गॉव में ५ कि.मी. अंतर पर बैंक शाखा उपलब्ध करा देना चाहिए।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू करते समय खाता धारकों की जमा धनराशि

प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू करते समय खाता धारकों ने जो धनराशि जमा कीहैं उसके आँकड़े इस प्रकार है:-

		कार्ड वितरण के आँकड़े इस प्रकार है।	
२१ सितम्बर २०१४	३९७१.५२ करोड़	२१ सितम्बर २०१४	१७.८४ करोड़
२१ अक्टूबर २०१४	५०९७.५७ करोड़	२१ अक्टूबर २०१४	३४.२३ करोड़
२१ नवम्बर२०१४	६४९४.१० करोड़	२१ नवम्बर २०१४	५२.५७ करोड़
२१ दिसम्बर २०१४	७९३०.६५ करोड़	२१ दिसम्बर २०१४	८२.११ करोड़
३० जनवरी	१०,४१५.	३० जनवरी	१०९.

२०१४	८५ करोड़	२०१४	९१ करोड़
५ फरवरी २०१४	१०,९२८,१४ करोड़.	५ फरवरी २०१४	११२.८० करोड़
शून्य पैसा जमा करने वाले खाताधारक की संख्या इस प्रकार है।		बैंक खातों की सख्या (विषेशकर ग्रामीण खातों की संख्या)	
२१ सितम्बर २०१४	४०.७५ करोड़	२१ सितम्बर २०१४	५२.९८ करोड़
२१ अक्टूबर २०१४	५१.३० करोड़	२१ अक्टूबर २०१४	६७.५२ करोड़
२१ नवम्बर२०१४	६१.८२ करोड़	२१ नवम्बर२०१४	८३.२३ करोड़
२१ दिसम्बर २०१४	७५.३० करोड़	२१ दिसम्बर २०१४	१०२.६८ करोड़
३० जनवरी २०१४	८४.१४ करोड़	३० जनवरी २०१४	१२४.७३ करोड़
५ फरवरी २०१४	८४.३४ करोड़	५ फरवरी २०१४	१२७.६५ करोड़

स्रोत- IBM Khabar New

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना लागू करने के बाद सरकार द्वारा चलाए गए वित्तीय समावेशन योजना के तहत जो भीबैंक खाते खोलने से रह गए थे, उनका इस जन-धन योजना से काफी बड़ा भाग कवर हुआ है। जो आँकड़ों द्वारा स्पष्टरूप से जाहिर होता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों के लिए केवाईसी मानकोंमें ढीलः-वित्तीय समावेशन के लिए २८ अगस्त, २०१४ से राष्ट्र व्यापी स्तर पर शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत ७.५ करोड़ लोगों के बैंक खाते २६ जनवरी, २०१५ तक ही खोले गए इस महत्वाकांक्षी अभियान में सबसे बड़ी अड़चन बैंकों के केवाईसी KYC-know your coustermer मानकों को माना जा रहा था। ऐसा अनुमान है कि ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में लगभग ४० प्रतिशत लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। पहचान पत्र के अभावमें आ रही कठिनाइयों के देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह निर्देश बाद में सभी बैंकों को दिए हैं कि सहकारी पहचान पत्र नहीं होने पर भी वे खाता खोलने से इनकार न करें। ४ सित. २०१४ को जारी इन निर्देशोंमें कहा गया है कि केवल फोटो तथा हस्ताक्षर अँगूठे के निशान पर भी खाते खोले जाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के कारण गरीबों का भाग्य ही बदल जाएगा। 'मेरा खाता-भाग्य विधाता'। बैंकों में शून्य राशि से खाता खोला जाएगा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की विशेषताएँः-

१) इस योजना के तहत व्यक्तियों को खाता खोलना बहुत ही आसान हो जाता है।

२) शून्य राशि से खाता खोला जा सकता है।

३) इस योजना में खाता खोलने एवं लेन-देन करने पर किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाता अर्थात् सभी प्रकार की सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

४) इस खाते में जमा पर दैनिक आधार पर ४ ब्याज दिया जाता है।

५) इस खाते से देश -विदेश में कही भी पैसे का लेन-देन आसानी से हो सकता है।

६) इस खाते में लेन-देन का व्यवहार में ६ माह तक संतोषजनक परिचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। रू. ५००० तक यह सुविधा मिलेगी।

७) इस खाते द्वारात्नचंल कार्ड की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी।

८) बैंकों से जुड़े हुऐ लोगों को ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध होती है जैसे घर खरीदने, घर बनाने, शिक्षा, एवं गैर कृषि, खुदरा व्यापार आदि के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो पाता है।

९) खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को एक लाख रूपये की राशि दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा तथा ३० हजार रूपए का जीवन बीमा मुफ्त मिलेगा।

१०) इस खाते में वृद्धावस्था या अन्य किसी भी प्रकार के पेंशन राशि जमा की जा सकती है।

११) यह खाता न केवल बैंक संबंधी सुविधाएँ, ऋण उपलब्धि, लघु बीमा योजना किंवा पेंशन योजना से ही नहीं आधार कार्ड से भी जुड़ा होगा जिससे देय सरकारी लाभ उन्हें घर बैठे मिल सकेगा।

इन योजना के प्रारम्भ से निम्न वर्ग व गरीब वर्ग के लोगों का भाग्य उदय हो गया। इस वजह से इसका ध्येय वाक्य हैं 'मेरा खाता-भाग्य विधाता'। यह एक लोकप्रिय योजना है। यदि खाता खोलने की रफ्तार इसी प्रकार से चलती रही तो

अगले कुछ सालों में देश में वित्तीय क्रान्ति आ जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सभी लोगों के बैंक खाते हो जाएंगे। प्रत्येक लेन-देन का कार्य बैंकों द्वारा किया जाएगा। देश में बैंक शाखाओं का भारी संख्या में विस्तार होगा। जिससे न केवल बैंक खातों में बढ़ौतरी होगी, बल्कि लोगों को अधिक प्रमाण में रोजगार भी प्राप्त होगा। इससे देश विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर होगा।

इस योजना के अंतर्गत न केवल करोड़ों लोग बैंक खातों से जुडे। इन बैंक खातो से जुड़ने पर उन्हें कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिला। प्रत्येक खाताधारक को १ लाख का बीमा निःशुल्क मिला। ३० हजार रू का जीवन बीमा साथ ही खाता धारकों को रूपए डेबिड कार्ड की सुविधा दी।५ हजार रूपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। इस योजना से लोगों की बचत में वृद्धि होती है और अपव्यय पर नियंत्रण रहता है। लोग अपनी छोटी-छोटीराशि बचाकर बैंकों में जमा करने से उनको ब्याज मिलता है एवं उनके मूलधन को सुरक्षित रखने में मदद मिलता हैं। लोगो द्वारा जमा की गईराशि से बैंकों में जमा राशि में वृद्धि , जिससे यह राशि विकास कार्य में लगाई गई। अतः सरकार को बैंकों में अधिक से अधिक शाखाएँ खोलनी होगी ताकि लोग बैंकों से जुड़ सके। वह लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। बैंकिंग के लेन-देन बढ़ने से बड़े नोटों का चलन कम होने से अप्रत्यक्ष रूप से काले-धन में कमी कर पाएगे।

वित्तीय समावेशन की रणनीतियाँ बनाते समय बैंक और सरकार द्वारा निम्न आय तथा गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएँ समय-समय पर लागू की गई ताकि लोगों के कल्याण को बढ़ाया जा सके । साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके जीवन को सुखमय कर सके । सरकार द्वारा ऐसे कार्यनीतियों का पालन किया गया जिससे जनता को बिना परेशानी के सुविधाएँ मिल सके । उनकी समस्याओं के अनुरूप कार्य करने का भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया गया है । इस कार्य को वर्तमान में भी सुचारू रूप से नई-नई योजनाओं के द्वारा लागू करने का प्रयास जारी है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. डॉ. शर्मा, रमाकांत -वित्तीय समावेशन, मेधा बुक्स, नवीन शहादरा, दिल्ली, २००८,
२. दिवेदी, मधू -वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन-एक ही सिक्के के दो पहलू, विदेशी मूद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल.
३. गिरहे, दिवाकर रवी,- वित्तीय समावेशन : स्थिति और भावी परिदृश्य, वित्तीय समावेशन के विविध आयाम, २००९, आधार प्रकाशन पंचकुला, हरियाणा
४. श्रीमती कुमार, पी., मिश्र, सुश्री रूपम, डॉ. शर्मा, पुष्पकुमार - वित्तीय समावेशन : स्थिति और भावी परिदृश्य, वित्तीय समावेशन के विविध आयाम, २००९, आधार प्रकाशन पंचफुला, हरियाणा
५. गिरहे, दिवाकर रवी,- 'वित्तीय साक्षरता-वित्तीय समावेशन की दिशा में महवपूर्ण कदम', बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर.
६. निरज, धर्मेंद्र कुमार, यादव, सुबह सिंह, यादव, जे. पी. - 'बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियाँ', सबलाइम पब्लिकेशन, जयपूर, २०१३,
७. के. पी. एम. सुन्दरम, रूद्र दत्त, - 'भारतीय अर्थव्यवस्था', २००२, एस. चंद ॲन्ड कंपनी, दिल्ली
८. डॉ. शर्मा, रमाकांत -'वित्तीय समावेशन के विविध आयाम', वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन विकास, २००९, आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा
9 The Hitavada, Delhi Bureau, New Delhi, Aug. 28, Dt. 30/08/2015.
10 IBM Khabar News
11 प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी पत्रिका, फरवरी २०१५